

कार्यालय नगर पालिक निगम, रतलाम(म0प्र0) 457001

01 कालेज रोड रतलाम दूरभाष 07412-270555
Email- commratlam@mpurban.gov.in

फैक्स नं. 07412-270556
Website- www.rmcratlam.in

क्रमांक 308 / सा0प्र0 / 2022

दिनांक 26-2-2022

// बैठक कार्यवाही विवरण //

दिनांक 26-2-2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही :-

- 1- श्री विकास सोलंकी, उपायुक्त
- 2- श्री मो0 हनीफ शेख, कार्यपालन यंत्री
- 3- श्री एम0के0 जैन, प्र0सहायक यंत्री
- 4- श्री एस0पी0 आचार्य, प्र0स्वास्थ्य अधिकारी
- 5- श्री राजेश पाटीदार, उपयंत्री
- 6- श्री बृजेश कुशवाह, उपयंत्री
- 7- श्री मनीष तिवारी, उपयंत्री,
- 8- श्री सुहास पण्डित, उपयंत्री
- 9- श्री भैयालाल चौधरी, उपयंत्री
- 10- सुश्री दिक्षा निजामपुरकर, उपयंत्री,
- 11- श्री ए0पी0सिंह, जोन प्रभारी-3,
- 12- श्री धर्मेन्द्र दोगाया, उद्यान पर्यवेक्षक जोन प्र0 -2
- 13- श्री किरण चौहान, जोन प्रभारी जोन प्रभारी -1
- 14- श्री विनयसिंह चौहान, जोन प्रभारी, जोन प्रभारी -4
- 15- श्री कोमलसिंह चौहान स0रा0नि0
- 16- श्री अनिल खरे, सहा0वर्ग-3
- 17- श्री गोपाल झालिवाल, सहा0वर्ग-2
- 18- श्री विजय कपूर, स0रा0नि0
- 19- श्री प्रदीप उपाध्याय, स0रा0नि
- 20- श्री इलियास मन्सूरी, स0रा0नि0
- 21- श्री एहसान खान, स0रा0नि
- 22- श्री महेश व्यास, स0रा0नि
- 23- श्री विष्णु कुमावत स0रा0नि
- 24- श्री दिनेश राठौर, सहा0वर्ग-3
- 25- श्री हरेश जोशी, सहा0वर्ग-3
- 26- श्री जितेन्द्र सिसोदिया,
- 27- श्री वासुदेव बैरागी
- 28- श्री विराट मेहरा
- 29- श्री सोरभ काला,
- 30- श्री राकेश पाण्डे,
- 31- श्री राकेश शर्मा,
- 32- श्री कुलदीप मट्ट

बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों के समक्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अन्तर्गत सौंपे गये दायित्वों, किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई तथा इस विषय में चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्देश दिये गये :-

- 1- आवारा मवेशी शहर में घूमते हुए पाये जा रहे हैं, विशेषतः मुख्य मार्गों एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में । काउ केचर टीम का चर्चा में दिये निर्देशानुसार वेतन काटने की कार्यवाही करें । शहर में कहीं भी आवारा मवेशी घूमते पाये जाने पर संबंधित क्षेत्र के जोन प्रभारी एवं वार्ड प्रभारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

(कार्यवाही - श्री एस0पी0 आचार्य, प्र0स्वा0अधि0जोन प्रभारी)

2- सालिड वेस्ट के निपटान हेतु श्रमिक तगारी-फावड़ा के साथ लगाये गये है उक्त श्रमिक शहर में ऐसे समस्त स्थान मुख्य रूप से शहर की प्रमुख सड़को, एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में जहां सालिड वेस्ट (रेत, गिट्टी, पत्थर आदि) पाया जावे उसे तत्काल उठावे । इसी प्रकार उद्यान शाखा भी फूटपाथ, डिवाइंडर आदि स्थानों पर पाई जाने वाली सूखीघांस, पत्तियां, झाड़िया आदि को हटाकर ऐसे स्थानों को बिलकूल साफ करें । उपरोक्तानुसार कार्यवाही निरन्तर चलती रहे, किये गये कार्य का प्रेस नोट, फोटो भी जारी करें ।

(कार्यवाही- प्र0कार्यपालन यंत्री कर्मशाला, एवं लोक निर्माण विभाग, श्री बृजेश कुशवाह, श्री मनीष तिवारी, उपयंत्री, उद्यान प्रभारी एवं उद्यान पर्यवेक्षक)

3- नगर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित औषधी पार्क के रख-रखाव के लिये नियमित रूप से सिंचाई की जाने हेतु समक्ष में दिये निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्था नियत समयावधि दिनांक 28-2-2022 तक पूर्ण कर ली जावे, नियत समयावधि में कार्य अपूर्ण पाया जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

(कार्यवाही- प्र0कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय, उपयंत्री जलप्रदाय, स्वास्थ्य विभाग के चारो जोन प्रभारी, उद्यान प्रभारी एवं उद्यान पर्यवेक्षक)

4- सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिये चयनित स्थानों पर कार्य प्रारंभ किया गया है, प्रतिदिन 8 वार्डों में किया जावे, वाट्स-एप ग्रुप में तत्संबंधी जानकारी डाले, चर्चा में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण कराया जावे ।

(कार्यवाही श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री मो0हनीफ शेख, प्र0कार्यपालन यंत्री एवं क्षेत्र से संबंधित उपयंत्री)

5- ट्रिटेटे पानी के पुनरुपयोग के संबंध में चर्चा में संशोधित अनुसार आम सूचना जारी करे, इस संबंध में अनाउंसमेन्ट भी कराया जावे । उपयोग में लिये गये पानी के संबंध में श्री भैयालाल चौधरी एवं श्री सुहास पण्डित उपयंत्री जलप्रदाय विभाग आगामी बैठक में जानकारी लेकर उपस्थित रहें ।

(कार्यवाही श्री मो0हनीफ शेख, प्र0कार्यपालन यंत्री, श्री सुहास पण्डित, श्री भैयालाल चौधरी उपयंत्री)

6- प्लास्टिक प्रतिबंध - प्लास्टिक पर प्रतिबंध के संबंध में दिये गये लक्ष्य अनुसार निरन्तर स्पार्ट फाईन किया जावे, एवं समक्ष में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करें, इस संबंध में व्यापारी संघ के प्रतिनिधियों की बैठक दिनांक 28-2-2022 को सायं 4-00 एस0बी0एम0सेल में आयोजित करें ।

(कार्यवाही, प्र0स्वास्थ्य अधि0, चारो जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं स्पार्ट फाईन टीम)

7- जीन क्षेत्रों में अभी भी जी0वी0पी है, उन्हे दिनांक 1-3-2022 के पूर्व समाप्त कर दिया जावे शहर में किसी भी स्थान पर जी0वी0पी0 नहीं होना चाहिये, ट्राली की व्यवस्था जोन प्रभारी द्वारा मांग की जाने पर प्र0कार्यपालन यंत्री कर्मशाला विभाग करें । नियत समयावधि पश्चात जिस क्षेत्र में जी0वी0पी0 पाया जावेगा उस क्षेत्र के जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं वार्ड हेतु नियुक्त पर्यवेक्षण अधिकारी के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी एवं 7-7 दिन का वेतन काटा जावेगा ।

(कार्यवाही- प्र0स्वास्थ्य अधिकारी, चारो जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी एवं वार्ड हेतु नियोजित कर्मचारी)

8- जी0पी0एस0 सिस्टम निरन्तर चालु रखे समस्त वाहनो में जी0पी0एस0चालु होना चाहिये, इसकी नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करें, उक्त कार्य में लापरवाही बरतने पर अनुशासनिक कार्यवाही की जावेगी ।

(कार्यवाही श्री मो0हनीफ शेख, कार्यपालन यंत्री, श्री सौरभ काला)

9- खुले में शौच/पेशाब करने वाले के विरुद्ध रपाट फाईन एवं वैधानिक कार्यवाही निरन्तर करे, खुले में मल/मूत्र त्याग पाया जाने पर उस क्षेत्र के जोन प्रभारी, वार्ड दारोगा तथा वार्ड हेतु नियुक्त पर्यवेक्षणकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी तथा 7-7- दिन का वेतन काटा जावेगा ।

(कार्यवाही - चारो जोन प्रभारी, वार्ड हेतु नियुक्त नोडल अधिकारी एवं वार्ड प्रभारी)

10- खाली प्लाटो पर कचरा फैलाने वालो को नोटिस जारी किये गये है, उन्हे तामिल करावे, समयावधि पश्चात फाईन वसूला जावे, जोन प्रभारी अपने-अपने जोन के 10-10 खाली प्लाट जिन पर कचरा फैला है उनके नोटिस जारी कर तामिल कराए एवं तत्संबंधी समयावधि समाप्ति के पश्चात फाईन वसूल करें ।

(कार्यवाही-प्र0स्वास्थ्य अधिकारी चारो जोन प्रभारी, वार्ड प्रभारी)

11- समस्त जोन प्रभारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में ऐसे ट्यूबवेल मालिकों एवं स्थान की जानकारी संकलित कर प्रस्तुत करे जो पानी का विक्रय कर रहे है साथ ही ऐसे ठेकेदार अथवा व्यक्तियों की जानकारी भी संकलित करे जो उक्त स्थानो से पानी क्रय कर रहे है, उक्तानुसार जानकारी दिनांक 27-2-22 तक संकलित कर कार्यपालन यंत्री, जलप्रदाय को प्रस्तुत करें, कार्यपालन यंत्री संकलित जानकारी आयुक्त के वाट्सएप पर डाले तथा आगामी बैठक में साथ लावे ।

(कार्यवाही- चारो जोन प्रभारी)

12- बैठक में चर्चा के दौरान नोडल अधिकारी एस0बी0एम0 द्वारा बताये अनुसार कचरा वाहनो को जुलवानियां ट्रेडिंग ग्राउण्ड पर पहुँचाया जावे, काम्पेक्टर अब ट्रान्सफर स्टेशन पर नहीं लगेंगे, काम्पेक्टर को कार्यालय में जाकर सर्विसिंग आदि कार्य कराया जावे, कचरा संग्रहण वाहनो के हेल्पर पलसोड़ा वर्कशाप में नहीं जाते है, दिनांक 28-2-22 से समस्त हेल्पर पलसोड़ा वर्कशाप में उपस्थिति देंगे, सारे वाहन हेल्पर के साथ ही रवाना किया जावे, हेल्पर घर-घर से गीला एवं सूखा कचरा प्रथक-पृथक संग्रहण करावेगे, वाहन प्रातः 7-00 बजे के पूर्व निकलवाना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही- प्र0कार्यपालन यंत्री-कर्मशाला,उपयंत्री कर्मशाला, चारो जोन प्रभारी,)

13- कार्यालयीन आदेश क्रमांक118/सा0प्र0वि0/2022 दिनांक 23-2-2022 में सौपे गये दायित्वों का समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी निर्वहन करें तथा प्रतिदिन आयोजित की जा रही बैठक में पालन प्रतिवेदन सहित उपस्थित रहना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही आदेश में उल्लेखित समस्त अधिकारी/कर्मचारी)

समस्त अधिकारी कर्मचारी जिन्हे दायित्व सौपा गया है, वह कार्य नियत समयावधि में पूर्ण करें । उपरोक्तानुसार एवं चर्चा के दौरान दिये गये अन्य निर्देशों का समस्त संबंधित पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

(सोमनाथ झारिया)

आयुक्त

नगर पालिक निगम, रतलाम

दिनांक 25-2-2022

पृ0क्र0/308 /सा0प्र0/2022

प्रतिलिपि :-

1- कलेक्टर एवं प्रशासक, नगरपालिक निगम, रतलाम की ओर सुचनार्थ ।

2- सर्व संबंधित श्री _____ नगरपालिक निगम, रतलाम की ओर पालनार्थ प्रेषित ।

आयुक्त,

नगरपालिक निगम, रतलाम